

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

( चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

03 / 2016  
18.01.2016

लालाराम पुत्र छोटू मीणा निवासी कोट्या की ढाणी, मूण्डिया तहसील निवाई जिला टोंक  
राज०

.....प्रार्थी

बनाम

1-हरफूल पुत्र कजोड मीणा जाति मीणा निवासी बारेडा तहसील निवाई जिला टोंक राज०  
2-आवंटन सलाहकार समिति निवाई जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज०

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू-आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 25.07.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1992 को प्रतिपक्षी संख्या-1 को आ०ख०नं० 29/1/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जामडोली तहसील निवाई में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरुद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या-1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1992 को प्रतिपक्षी संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 29/1/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वाके ग्राम जामडोली में आवंटन किया गया है। मौके पर उक्त आराजी की कोई भूमि नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है। प्रतिपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं है, उसके पिता के नाम करीब 50 बीघा भूमि है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर फ़ॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर आवंटन कराया है। विवादित भूमि के आवंटन के समय उद्घोषणा जारी नहीं की गई है। प्रतिपक्षी संख्या



जिला कलेक्टर  
टोंक

ग्राम बारेडा का निवास है, जबकि भूमि ग्राम जामडोली में आवंटन की गई है। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। आवंटन से पूर्व आवंटित भूमि का मौका नहीं देखा गया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का कब्जा भी नहीं दिया गया है। आवंटित भूमि की शीट में तरमीम भी नहीं की गई है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1 ने जवाबी बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति ने प्रतिपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार आवंटन किया है। आवंटन के समय प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम कोई भूमि नहीं थी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन दिनांक 16.06.1992 को किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.12.1992 को दो स्वतंत्र गवाह के सामने सुपुर्दगी में दी गई है। उक्त आवंटन का अमल जमाबंदी संवत् 2051-5054 खाता संख्या 508 पर बतौर गेर खातेदारी में दर्ज है। तथाकथित खसरा नम्बर के संबंध में पूर्व में न्यायालय हाजा में धूल्या पुत्र समस्या जाति तेली निवासी जामडोली तहसील निवाई द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2000 से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1992 को आराजी खसरा नम्बर 29/1/1 में रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखते हुये प्रार्थी धूल्या का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) अस्वीकार किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में ही इस खसरा नम्बर बाबत निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः पुनः निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी संख्या-1 हरफूल पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी बारेडा तहसील निवाई को भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1992 को केम्प जामडोली में आ0ख0न0 29/1/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम जामडोली में आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि दिनांक 18.12.1992 को सुपुर्दगी में दी गई है। चूंकि विवादित खसरा नम्बर 29/1/1 वाके ग्राम जामडोली तहसील निवाई का न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में ही दिनांक 04.09.2000 को निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः निर्णय पारित किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। फलतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी 14(4) भू-आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर  
टोक